लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 924

जिसका उत्तर बुधवार, 08 फरवरी, 2023 को दिया जाएगा

खाद्य अपव्यय की समस्या

924. श्री विष्णु दत्त शर्मा:
डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा जारी खाद्य "अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2021" के अनुसार खाद्य अपव्यय की समस्या में सुधार करने के लिए कुछ समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जैसे कि भारत में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 50 किलोग्राम भोजन की बर्बादी होती है जो विश्व में सर्वाधिक है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): सरकार ने खाद्य अपव्यय के संबंध में लोगों को समय-समय पर संवेदनशील बनाने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार अभियान चलाया है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार द्वारा राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूल के विद्यार्थियों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने और उन्हें इस विषय के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से स्कूल पाठ्यक्रम में खाद्य अपव्यय की रोकथाम विषय पर एक अध्याय को शामिल करने का सुझाव दिया गया था।

इसके अलावा, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने अधिशेष खाद्य पदार्थ के दान को बढ़ावा देने में सहयोग प्रदान करने और विभिन्न खाद्य वितरण एजेंसियों और अन्य हितधारकों को एकीकृत करते हुए, खाद्य के अपव्यय को कम करने के लिए "सेव फूड शेयर फूड" नामक एक पहल का शुभारम्भ किया है। एफ.एस.एस.ए.आई. ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (अधिशेष खाद्य की प्राप्ति और वितरण) विनियम, 2019 को भी अधिसूचित किया है जिसमें खाद्य दाताओं और अधिशेष खाद्य वितरण संगठनों की जिम्मेदारियों को विनिर्दिष्ट किया गया है ताकि दान किया हुआ भोजन मानव उपभोग के लिए सुरक्षित रहे।

******